

पचा डिक्री
यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

0न0 364 / 2025

गुरदेव पुत्र चन्दसिह जाति बावरी निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

करतारो पुत्री चन्द सिंह जाति बावरी निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2. कृष्ण पुत्र चन्द सिंह जाति बावरी निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

डिक्री

दिनांक 11/8/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री अरविन्द नैण व प्रतिवादी वकील परमजीतसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है

क. वादी गुरदेव को प्राप्त आराजी:- चक नं0 8एसबीएन के खाता सं0 37/33 में प0न0 196/213 मु0 81 किलानं0 11/.253, 12/.253, 13/.253, 14/.253, 15/1/.114 है0 उत्तर दिशा, 15/2/0.125 है0 गै0मुव रास्ता, प0न0 201/210 मु0 72 किलानं0 12/.253, 13/.253 है0, 18/.126 है0 उत्तर दिशा, 19/.253, 22/.253 है0 चकनं0 2 एनजीआर के खाता सं0 17/16 के प0न0 188/208 मु0 2 किलानं0 4/0.065 दक्षिण दिशां, 5/.253, 6/.253, 7/.253, 14/0.094 है0 उत्तर दिशा में

ख. प्रतिवादीया सं0 1 करतारो को प्राप्त आराजी - चक नं0 10 एस.बी.एन. के खाता सं0 31/23 के प0न0 188/207 मु0 66 किलानं0 23/.253, 24/.253, चकनं0 2 एनजीआर के खाता सं0 17/16 के प0न0 188/208 मु0 2 किलानं0 4/.188 है0 उत्तर दिशा में


ग. प्रतिवादीसं0 2 कृष्ण को प्राप्त आराजी- चकनं0 8 एस. बी. एन के खाता सं0 37/33 के प0न0 196/213 मु0 81 किलानं0 4/.253, 6/1/.228, 6/2/.025 है0 गै0मु0 रास्ता, 7/.253, 8/.253, 15/1/.114 है0 दक्षिण में, 15/2/0.125 है0 गै0मु0 रास्ता, 16/0.253, 17/.253, 18/.127 है0 दक्षिण दिशा में, 23/.253,

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर

टिब्बी

24/253, चकनं0 2 एनजीआर के खाता सं0 17/16 के प0न0 188/208 मु0 2 किलानं0 14/0.159 दक्षिण दिशा, 15/.253 है0, प0न0 189/208 मु0 3 किलानं0 1/.253, 10/.253, 11/.253 इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी को खातेदार घोषित

किया जाता है व चकनं० 2 एनजीआर के खाता सं० 17/16 मे से प्रतिवादीया सं० 1 करतारो व वादी गुरदेव का हिस्सा कम चकनं० 8 एस.वी.एन के खाता सं० 37/33 मे से करतारों का नाम कलमजन, चकनं० 10 एसवीएन के खाता सं० 31/23 मे से वादी गुरदेव व प्रतिवादीसं० 2 कृष्ण का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है इसी अनुसार वादीगण का खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै०मु० रकवे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/8/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी।